सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

सं0–C-3259

प्रेषक,

हीरा लाल गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 जून, 2015

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना का प्रभावी संचालन किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यार्थियों को ताजा, पका–पकाया पौष्टिक एवं गुणवत्तायुक्त भोजन प्रत्येक विद्यालय दिवस के लिए निर्धारित मेनू के अनुसार दिया जाना प्राविधानित है। विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों के ठहराव में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्वि करने तथा कुपोषण की समस्या के निदान में भी इस योजना का विशिष्ट महत्व है।

राज्य सरकार की यह अपेक्षा है कि मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन को प्रभावशाली बनाया जाए ताकि इसका लाभ विद्यार्थियों, विशेषकर निर्बल आय वर्ग के बच्चों को वास्तविक रूप से मिल सके। प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी को इस योजना के सफल क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। ग्रीष्म कालीन अवकाश के उपरान्त 01 जुलाई, 2015 से विद्यालय पुनः खुल रहे हैं। विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना निर्बाध रूप से संचालित होती रहे, इस हेतु कतिपय बिन्दुओं पर सजग रहने की आवश्यकता है। जिन बिन्दुओं पर जिलाधिकारियों को विशेष ध्यान देना अपेक्षित है वे निम्नवत् है :–

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में कार्यदायी संस्थाओं के पास योजना संचालन हेतु समुचित मात्रा में खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत उपलब्ध रहे, किन्तु एक माह की आवश्यकता से अधिक वांछित खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत को अनावश्यक रूप से कार्यदायी संस्थाओं के पास संचित न होने दिया जाए। प्रत्येक आवंटन के उपरान्त सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं/शिक्षकों को www.upmdm.in पर निर्मित व्यवस्था के माध्यम से SMS अवश्य प्रेषित किये जायें, ताकि आवंटित खाद्यान्न व धनराशि की सूचना कार्यदायी संस्थाओं/शिक्षकों के पास भी रहे।
2. जनपद में प्राप्त होने वाले खाद्यान्न को ग्राम प्रधान/वार्ड सभासदों/भोजन वितरण करने हेतु अधिकृत संस्था को पहुंचाने का दायित्व खाद्य विभाग/खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम उ0प्र0 का है। आकस्मिक निरीक्षणों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्न वास्तव में गंतव्य तक पहुंच रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि खाद्यान्न की गुणवत्ता भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक मानक के अनुरूप हो। यदि सैंपल अधोमानक है तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों पर एफ0सी0आई0 के गोदामों के संयुक्त निरीक्षण, खाद्यान्न की उत्कृष्टता, सही तौल एवं सैंपलिंग की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालयों को उत्कृष्ट खाद्यान्न समय से मिलने हेतु खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन किया जाए।
4. रसोइयों के चयन संबंधी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा रसोइयों को मानदेय का भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. भोजन में यथा आवश्यक हरी सब्जियों एवं पौष्टिक तत्वों के साथ ही आयोडाइज्ड नमक एवं एगमार्क युक्त तेल तथा मसालों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।
6. भोजन पकाने के स्थल और बर्तनों की साफ–सफाई सुनिश्चित करायी जाए तथा यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि विद्यार्थियों के पीने के लिए स्वच्छ पेय जल विद्यालय के प्रांगण में ही उपलब्ध हो। विद्यालय परिसर में स्वच्छता को सुनिश्चित कराया जाए तथा भोजन को चखकर उसकी गुणवत्ता का परीक्षण भी कराया जाए। भोजन दो व्यक्तियों द्वारा चखा जायेगा, जिसमें प्रथमतः रसोइया तथा द्वितीय व्यक्ति के रूप में अध्यापक/एस0एम0सी0 के सदस्य/माता–अभिभावक संघ के सदस्य होंगे। इस संबंध में किसी भी अनियमितता के संज्ञान में आने पर तत्काल दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
7. भोजन ग्रहण करने से पहले शिक्षकों व रसोइयों द्वारा बच्चों के हाथ धुलवाये जायें।
8. जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय एम0डी0एम0 टास्क फोर्स के माध्यम से विद्यालयों के निरीक्षण इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं कि जनपद के समस्त विद्यालयों, विशेषकर ऐसे विद्यालय, जो दूरस्थ स्थलों में भी स्थित हैं अथवा जिनके संबंध में प्रायः शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, का निरीक्षण नियमित रूप से हो सके। **सर्वप्रथम ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाए जहाँ दैनिक अनुश्रवण प्रणाली या अन्य माध्यमों से पूर्व में योजना के लगातार बाधित रहने की सूचना/शिकायत प्राप्त हुयी हो।**
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि टास्क फोर्स के भ्रमण वस्तुतः स्थलीय हों, न कि सूचना आधारित। यदि किसी विद्यालय में खराब भोजन परोसने के कारण विद्यार्थी बीमार होते हैं अथवा अन्य कोई आकस्मिकता घटित होती है तो दोषियों के विरूद्व तत्परता से कार्यवाही की जाए और इसकी सूचना निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को फैक्स/दूरभाष के माध्यम से तत्काल दी जाए।
10. नवीन मध्यान्ह भोजन पंजिका जनपदों को पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। अतः उक्त पंजिका में योजना से सम्बन्धित समस्त विवरणों का दर्ज किया जाए तथा पंजिका को निरीक्षण के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाए।
11. IVRS की सूचना हेतु User ID एवं Password जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध है। IVRS से प्राप्त सूचना के आधार पर सप्ताह में न्यूनतम् 02 बार अधिक समय से मध्यान्ह भोजन बाधित स्कूलों में दूरभाष से वार्ता कर, समस्या का तत्काल समाधान भी किया जाना चाहिए।
12. आई0वी0आर0एस0 से प्राप्त होने वाली सूचनाओं का भी संज्ञान निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा अवश्य लिया जाय और विद्यालय स्तर पर पंजिका में अंकित आकड़ों

से आई0वी0आर0एस0 से प्राप्त आकड़ों का मिलान किया जाय ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जो विद्यार्थी मध्यान्ह भोजन ग्रहण कर रहे हैं वही सूचना मध्यान्ह भोजन पंजिका में अंकित हो रही है तथा आई0वी0आर0एस0 के माध्यम से भी वही सूचना दर्ज कराई जा रही है। भिन्नता होने की स्थिति में कारणों का उल्लेख अवश्य किया जाए।

13. योजना के सफल संचालन के अलावा समय–समय पर उपभोग प्रमाण पत्र, मासिक, त्रैमासिक सूचनाएं एवं योजना से संबंधित अन्य सूचनाओं का समय से प्रेषण सुनिश्चित कराया जाए।
14. इस योजना की सफलता इस योजना से जुड़े हुए समस्त व्यक्तियों के सम्मिलित प्रयासों पर निर्भर करती है। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भारत सरकार की गाइड–लाइन्स, शासन तथा प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप योजना से सम्बन्धित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि राज्य सरकार की इस प्राथमिकता प्राप्त योजना का संचालन सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके।

गत वर्षो की भॉति इस वर्ष भी ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग एवं पंचायतीराज विभाग के समस्त कर्मियों के माध्यम से दि0 10–07–2015 को इस तथ्य की पुष्टि कराई जाएगी कि समस्त विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का वितरण हुआ है अथवा नहीं और यदि वितरण हुआ है तो कितने विद्यार्थियों द्वारा भोजन ग्रहण किया गया। यदि मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं हो रहा है तो जिलाधिकारियों द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विद्यालयों में तत्काल भोजन वितरण कराना सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही उक्त निरीक्षण से सम्बन्धित संकलित सूचना इस हेतु निर्धारित प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दिनांक 25–07–2015 तक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हीरा लाल गुप्ता)
सचिव

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक पंचायती राज,उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हीरा लाल गुप्ता)
सचिव